

क. ऋण के बारे में परिचय:

एसबीआई आईएफएससी गिफ्ट सिटी, गांधीनगर ने भारत से श्रीलंका द्वारा पात्र वस्तुओं और सेवाओं (अर्थात् खाद्य पदार्थों, दवाईयां, ईंधन और औद्योगिक कच्चे माल) के आयात के उद्देश्य से भारत सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित 1000 मियो अमरीकी डालर की मियादी ऋण सुविधा को मंजूरी दी है।

क्रेडिट सुविधा सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 12 महीने तक यानी 16 मार्च 2023 तक की निकासी के लिए उपलब्ध होगी।

एसओपी (अनुलग्नक के रूप में रखा गया) के अनुसार लाभार्थियों (भारत में निर्यातकों) को भुगतान जारी किया जाएगा।

ख. भारतीय निर्यातकों को संवितरण और भुगतान का प्रचालन:

- i. निर्यातकों को श्रीलंका सरकार को व्यापार लेनदेन से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रतियां (मूल देश , बीमा प्रति , लादने का बिल / शिपिंग बिल , चालान प्रति / वाणिज्यिक चालान) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।
- ii. एसबीआई गिफ्ट सिटी, हर प्रकार से परिपूर्ण भुगतान संस्वीकृति रशीद की प्राप्ति और इस बात से संतुष्ट होने पर कि जीओएसएल ने सुविधा समझौते के अंतिम उपयोग तंत्र के तहत निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन किया है, इसके अंत में उचित प्रक्रिया को पूर्ण करेगा।
- iii. तत्पश्चात्, एसबीआई गिफ्ट सिटी शाखा भारतीय निर्यातकों को क्रेडिट के लिए आईएनआर में जीओएसएल खाते से उसमें उल्लिखित पात्र मूल्य को स्थानांतरित करेगी।
- iv. एफआईआरसी निर्यातकों को उनके प्राधिकृत डीलर द्वारा जारी की जाएगी।

ग. ऋण सुविधा से वित्तपोषित किए जाने वाले अनुबंध की पात्रता:

अनुबंध क्रेडिट सुविधा से वित्त पोषित होने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि :-

- क. अनुबंध को 17.01.2022 के बाद निष्पादित किया गया हो ;
- ख. यह भारत गणराज्य से उधारकर्ता के देश में पात्र वस्तुओं और सेवाओं (जिसका अर्थ है खाद्य वस्तुओं, दवाओं, ईंधन और औद्योगिक कच्चे माल) के आयात के लिए है;
- ग. उधारकर्ता ने श्रीलंका में आयातक ("आयातक") और भारत में निर्यातक ("निर्यातक") के बीच अनुबंध को शामिल करने के लिए अधिकृत किया है, क्रेडिट सुविधा के तहत और कोलंबो / एमईए में भारतीय उच्चायोग द्वारा अनुमोदित;

- घ. भारत में आयातक और निर्यातक के बीच अनुबंध के अनुसार आयातक को पात्र वस्तुओं और सेवाओं के एफओबी/सीएफआर/सीआईएफ/सीआईपी अनुबंध मूल्य के 100% (एक सौ प्रतिशत) के निर्यातक को भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जो शिपमेंट के लिए प्रो-राटा आधार पर होता है।;
- ङ. उधारकर्ता एसबीआई को पुष्टि करता है कि क्रेडिट सुविधा से कोई भी राशि उधारकर्ता के देश में लगाए गए किसी भी प्रकृति के करों, लेवी और शुल्कों के लिए उपयोग नहीं की जा रही है।;
- च. अनुबंध में उधारकर्ता को एसबीआई को भुगतान प्राधिकार जारी करने का प्रावधान है ताकि निर्यातक को ऐसी वस्तुओं के लिए चालान की राशि या अग्रिम भुगतान की राशि के लिए विभाजित पात्र वस्तुओं और सेवाओं के एसबीआई से भुगतान का दावा करने में सक्षम बनाया जा सके, जैसा कि मामला हो सकता है।;
- छ. उधारकर्ता ने अनुलग्नक 1 में प्रारूप में अनुबंध का संक्षिप्त विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेजों और जानकारी को एसबीआई को भेजा है, जिसकी एसबीआई को इस संबंध में आवश्यकता हो सकती है, और एसबीआई ने लिखित रूप में, क्रेडिट सुविधा के तहत अनुबंध को शामिल करने से अवगत कराया है जो इसके योग्य मूल्य को इंगित करता है।;
- ज. अनुबंध क्रेडिट समझौते की तारीख से 12 (बारह) महीनों के भीतर समाप्त हो जाएगा, यानी 17.03.2022. बशर्ते कि, उधारकर्ता और एसबीआई अनुबंध को समाप्त करने के लिए समय बढ़ाने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हो सकते हैं।

घ. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्र : भारतीय निर्यातकों को भुगतान कैसे किया जाएगा?

उत्तर. जीओएसएल एसबीआई गिफ्ट सिटी शाखा (भारतीय उच्चायोग, कोलंबो के माध्यम से) को भुगतान प्राधिकरण प्रदान करेगा-

प्र : भुगतान प्राधिकरण के साथ आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं?

उत्तर: निर्यातकों को आगे के प्रसंस्करण और भुगतान के लिए व्यापार लेनदेन से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतियां (वाणिज्यिक चालान/ चालान प्रति, शिपिंग बिल / लादने का बिल, बीमा प्रति, मूल देश) को जीओएसएल को प्रस्तुत करना होगा। किसी भी विसंगति के मामले में, एसबीआई गिफ्ट सिटी शाखा जीओएसएल और भारतीय उच्चायोग को नामित ईमेल इसके 2 कार्य दिवसों में अधिसूचित करेगी।

प्र : भारतीय निर्यातकों को भुगतान कब किया जाएगा?

उत्तर: किसी भी भुगतान के संबंध में, इसे भुगतान की अनुरोधित तारीख (टी) से अधिकतम टी + 2 व्यावसायिक दिनों के भीतर भारतीय निर्यातकों के खाते में जमा किया जाएगा, इस अवधि के दौरान न्यूयॉर्क, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और कोलंबो में यह मानकर कि कोई छुट्टी है।

प्र : पात्र वस्तुएं कौन सी हैं?

उत्तर: योग्य वस्तुओं का अर्थ भारतीय निर्यातकों से खाद्य वस्तुएं, दवाएं, ईंधन और औद्योगिक कच्चा माल है।

प्र . अमरीकी डालर से भारतीय रुपया में मुद्रा रूपांतरण के कारण कौन शुल्क वहन करेगा।

उत्तर: अमरीकी डालर से भारतीय रुपया तक मुद्रा रूपांतरण शुल्क और 1 बिलियन अमरीकी डालर की सुविधा से संबंधित अन्य शुल्क जीओएसएल द्वारा वहन किए जाएंगे।

प्र. यदि भारतीय निर्यातक को भुगतान किए जाने के बाद आयात और निर्यातक के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निहितार्थ क्या होगा?

उत्तर. कोई भी भुगतान करने के लिए जीओएसएल की देयता प्राथमिक है और किसी भी तरह से निर्यातक / आयातक द्वारा उचित प्रदर्शन पर सशर्त नहीं होगी या आयातक और निर्यातक के बीच किसी भी विवाद से प्रभावित नहीं होगी।

संपर्क विवरण:

1. भारतीय उच्चायोग

सुश्री इरीना ठाकुर

प्रथम सचिव (वाणिज्य और संस्कृति)

भारतीय उच्चायोग

मोबाइल नंबर: +94773479197

email ID: com2.colombo@mea.gov.in

2. श्रीलंका सरकार

श्री सामन्था बंडारा

निदेशक, बाह्य संसाधन विभाग वित्त मंत्रालय

मोबाइल नंबर: +94718556565

कार्यालय संख्या: +94 11 2151453

email ID: samantha@erd.gov.lk

3. भारतीय स्टेट बैंक

श्री विनोद कुमार

महाप्रबंधक (क्रेडिट)

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह,

भारतीय स्टेट बैंक, कॉर्पोरेट सेंटर, मैडम कामा रोड मुंबई-400 021

Tel : +91 22 227 40980

Mobile : +91 70459 45279

श्री पुष्कर नंद झा

उमप्र और शाखा प्रमुख

भारतीय स्टेट बैंक,

1401, हीरानंदानी सिग्नेचर टॉवर

GIFT IFSC, GIFT CITY, गांधीनगर

Tel : +91 79 6171 0901

Mobile : +91 99875 84235

✉ bh.ibu@statebank.com

श्री गौतम गुप्ता

मुख्य प्रबंधक (ऋण)

भारतीय स्टेट बैंक,

1401, हीरानंदानी सिग्नेचर टॉवर

GIFT IFSC, GIFT CITY, गांधीनगर

Tel : +91 79 6171 0905

Mobile : +91 76000 44948

✉ loans.ibu@statebank.com

श्री एन रवि

उप महाप्रबंधक (क्रेडिट - II)

भारतीय स्टेट बैंक अं

तर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह

कॉर्पोरेट सेंटर, मैडम कामा रोड मुंबई-400 021

Tel : +91 22 227 42710

Mobile : +91 98208 08882